



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 15-03-2024

जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए माह जनवरी से अब तक बागपत पुलिस द्वारा कुल 90 असामाजिक तत्वों को 06 माह के लिए जिलाबंदर किया गया।

थाना बार जिलाबंदर किये गए असामाजिक तत्व-

क्रमांक	थाना	असामाजिक तत्वों की संख्या
01	कोतवाली बागपत	24
02	सिंघावली अहीर	04
03	बिनौली	07
04	खेकड़ा	07
05	चांदीनगर	05
06	बालैनी	04
07	बड़ौत	12
08	दोघट	10
09	रमाला	11
10	छपरौली	06
	कुल	90



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**BAGHPAT POLICE**



एनडीपीएस एक्ट के आरोपी मीरहसन, बाबू व 02 महिलाओं को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 माह 10 दिन का कारावास व 26,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि अभियुक्त मीरहसन पुत्र अखतर, बाबू पुत्र सराजुद्दीन व 02 महिला निवासीगण विजय नगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2015 में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0- 431,432,433,434/2015 धारा 8/20 एडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 15.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मीरहसन, बाबू व 02 महिलाओं को दोषी पाते हुए 02 माह 10 दिन का कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15-03-2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

बिडू उर्फ योगेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेशचन्द शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 1130 सोनू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट  
थाना चांदीनगर

दिनांक 15.03.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से 45 पैकेट देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पैकेट अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

गौतम पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम दुहाई थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।

### बरामदगी का विवरण-

- 45 पैकेट अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है0का0 289 सतेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर ।
- 2- का0 1014 कुलदीप कुमार थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना चांदीनगर

दिनांक 15.03.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विनोद पुत्र स्व० टीकाराम निवासी ग्राम पूठड थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर ।
- 2-का० 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 15.03.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशोक पुत्र फूलसिंह निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना सिंघावली अहीर ।
- 2-है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 3-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर ।